महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन,
ब्लॉक–II, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)

☎0771-2331659, Email ID-nregastatecell@gmail.com

क्रमांक/2782/वि–7/MGNREGA/लोकपाल/2020 अटल नगर, दिनांक– 16/10/2020

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इंफोटेक एण्ड बायोटेक प्रमोशन सोसायटी **(Chips)**,
तृतीय तल, स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग,
नवीन सर्किट हाऊस के सामने,
सिविल लाईन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़।
पिनकोड– 492001

विषय :– विज्ञापन प्रारूप अपलोड करने बाबत्।

//0//

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले समस्त 27 जिलों में कुल 17 लोकपालों की तथा राज्य स्तर पर गठित लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण में 03 सदस्यों **(01 पद सिविल सेवा क्षेत्र, 01 पद अकादमिक क्षेत्र एवं 01 पद सिविल सोसायटी संगठन क्षेत्र के अंतर्गत के अनुभवी हेतु)** की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है। इस हेतु **विज्ञापन सूचना एवं आवेदन पत्र प्रारूप** संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया छत्तीसगढ़ शासन की अधिकृत वेबसाईट www.cgstate.gov.in के "Notice Board" में संलग्न **विज्ञापन सूचना एवं आवेदन पत्र प्रारूप** को दिनांक– **19/11/2020** तक के लिये अपलोड करवाने का कष्ट करें, जिसका लिंक **"विज्ञापन प्रारूप एवं आवेदन पत्र– महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 17 लोकपालो तथा लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के 03 सदस्य पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन"** के नाम से प्रदर्शित हो।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (कुल–12 पृष्ठ)

16/X

अपर आयुक्त
महात्मा गांधी नरेगा
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

(2)

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विज्ञापन प्रारुप

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् छ.ग. राज्य के अंतर्गत आने वाले समस्त 27 जिलों में कुल 17 लोकपालों की नियुक्ति हेतु राज्य स्तर पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

(जिन लोगो ने पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं।)

रिक्त पदों की संख्या– 17

रिक्त पदों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिले का नाम, जहाँ पर लोकपाल का पद रिक्त है।	कॉलम नंबर–2 में उल्लेखित जिले हेतु नियुक्त किये जाने वाले लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम
(1)	(2)	(3)
1	कोरिया	कोरिया
2	सरगुजा	सरगुजा, सूरजपुर
3	जशपुर	जशपुर
4	बिलासपुर	बिलासपुर, मुंगेली
5	जांजगीर–चांपा	जांजगीर–चांपा
6	कोरबा	कोरबा
7	रायगढ़	रायगढ़
8	रायपुर	रायपुर, बलौदाबाजार–भाटापारा
9	दुर्ग	दुर्ग, बालोद
10	कवर्धा (कबीरधाम)	कवर्धा (कबीरधाम), बेमेतरा
11	धमतरी	धमतरी, गरियाबंद
12	राजनांदगांव	राजनांदगांव
13	महासमुन्द	महासमुन्द
14	बस्तर	बस्तर, कोण्डागांव
15	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा
16	कांकेर	कांकेर, नारायणपुर
17	बलरामपुर	बलरामपुर

क्रमशः.....

(3)

आवेदन संबंधी अनर्हताएँ/अर्हताएँ/नियम–शर्तें :–

(आवश्यक सूचनाः– जिन लोगो ने पूर्व में माह नवबंर 2019 में विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं।)

अनर्हताएँ–

1) किसी भी विधि के अंतर्गत दोषी सिद्ध हुआ हो।
2) किसी अन्य ऐसे व्यवसाय/आजीविका से जुड़ा/जुड़ी हो, जिससे आवेदित पद के कार्यों के लिए आवश्यक समय व ध्यान न दे सके।
3) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं इसके अंतर्गत जारी "Revised Guidelines for Appointment of Ombudspersons, Dated : 28-08-2017" में उल्लेखित निर्धारित पात्रता एवं अनुभव शर्तों को पूरा नहीं करता/करती हो।
4) आवेदित पद पर (अर्थात् लोकपाल पद पर) पूर्व में कार्य कर चुका/चुकी हो।
5) वह ऐसे अपराध का दोषी पाया गया हो, जो नैतिक अधमता (पतन) से जुड़ा हो।
6) किसी राजनैतिक दल अथवा प्रतिबंधित संगठन/संस्था/समिति का सदस्य हो।
7) शारीरिक रूप से अक्षम हो।
8) नियुक्ति के समय आवेदक की आयु **66 वर्ष** से कम हो।

अर्हताएँ–

1) **लोक–प्रशासन** (Public Administration), **विधि** (Law), **अकादमिक** (Academic), **समाजकार्य** (Social Work) या **प्रबंधन** (Management) में से किसी एक में **न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव।**
2) उपरोक्त क्षेत्रों में अनुभव के साथ ही **"आमजन अथवा सामाजिक संगठनों"** के साथ कार्यानुभव की अनिवार्यता।

नियम एवं शर्तें–

1) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिलों में, लोकपाल की नियुक्ति की जानी है। लोकपाल का कार्य पूर्णतः सामाजिक सेवाभाव का है, इसलिये जीवन–निर्वाह के उद्देश्य से लोकपाल पद हेतु आवेदन किया जाना उचित नहीं होगा। लोकपाल के रूप में चयनित व्यक्ति से 'कार्यालय, लोकपाल' के कार्य–उत्तरदायित्व के प्रति पूर्ण समर्पण की आशा व्यक्त की जाती है। लोकपाल को फीस के रूप में देय पारिश्रमिक भुगतान प्रतिमाह अधिकतम सीमा रूपये– 20,000.00 (बीस हजार रूपये मात्र) के अध्यधीन प्रति बैठक (Per Sitting) रूपये 1000.000 (एक हजार रूपये मात्र) की दर से देय होगा। अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
2) लोकपाल के रूप में दी जाने वाली सेवा, किसी भी प्रकार की शासकीय सेवा नहीं मानी जावेगी। अतः लोकपाल के रूप में चयनित होने वाले व्यक्ति को शासकीय सेवा का दर्जा प्राप्त नहीं होगा।
3) आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में ही जानकारी देनी होगी एवं आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज आवेदक द्वारा स्व–प्रमाणित होनी चाहिये।
4) लोक–प्रशासन क्षेत्र का अनुभव रखने वाले आवेदक को अपने कार्यानुभव संबंधी दस्तावेजों के माध्यम से लोक–प्रशासनिक अनुभव को सिद्ध करना होगा।

क्रमशः.....

(4)

5) अकादमिक क्षेत्र का अनुभव रखने वाले आवेदक को कम–से–कम **10 वर्षों** के श्रेष्ठ अकादमिक क्रियाकलापों की जानकारी अपने आवेदन के साथ पृथक से प्रस्तुत करना होगा।

6) समाज सेवा कार्य क्षेत्र का अनुभव रखने वाले आवेदक को अपने आवेदन के साथ कम–से–कम **10 वर्षों** के उत्कृष्ट समाज सेवा कार्य (जिसमें वर्षवार समाज सेवा कार्य के विषयों, लाभार्थियों एवं अनुदान की स्थिति स्पष्ट करनी होगी) का उल्लेख करना होगा। इस हेतु प्राप्त पुरस्कारों अथवा प्रशस्ति पत्रों या समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

7) विधि क्षेत्र में अनुभव रखने वाले आवेदक को अपने आवेदन के साथ न्यूनतम **10–वर्षों** के अनुभव के अंतर्गत सामाजिक हित में वाद किये गये प्रकरणों सह निष्कर्षों का विवरण देना होगा। **केवल अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ द्वारा अनुभव संबंधी जारी अनुभव प्रमाण पत्र चयन हेतु पर्याप्त नहीं होगा बल्कि इसके साथ ही विधिक जागरूकता के क्षेत्र में किये गये कार्यों का विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।**

8) अगर वह इस पद (लोकपाल के) अधिकार के तहत् दी गई शक्ति का दुरूपयोग करते हुये पाया जाता/जाती है अथवा किसी भी कानून अंतर्गत दोषी पाये जाने की दशा में पद से पृथक करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

9) शासकीय, अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं में वैतनिक रूप से कार्यरत् आवेदक, आवेदन हेतु अपात्र होंगे।

10) आवेदक जहाँ निवास कर रहा है, उस जिले के लिए आवेदन करे। जिला मुख्यालय अथवा निकटस्थ क्षेत्र, जहाँ आवेदक को अपने कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य–संपादन में सुविधा हो सकती है, को ध्यान में रखते हुये चयन में वरीयता दी जावेगी। निवास स्थल/मूल निवास से कार्यालय लोकपाल तक आने–जाने हेतु किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

11) आवेदक जिस जिले हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है, उसे उस जिले का नाम लिखना अनिवार्य होगा। जिले का नाम आवेदन पत्र में उल्लेखित नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

12) आवेदन पत्रों के साथ समस्त प्रमाण–पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13) राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा पात्र आवेदको को संबंधित क्षेत्र में अनुभव के वर्ष, रिक्त पद से संबंधित जिला अथवा पडोसी जिला का निवासी होने पर, सामाजिक क्षेत्र से जुडाव एवं अनुभव क्षेत्र में उत्कृष्टता के आधार पर अंक प्रदाय किया जावेगा।

14) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की **अंतिम तिथि –19/11/2020 की सायं– 5:00** बजे तक है। आवेदन पत्र सिर्फ **स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगें।**

15) प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से लिखें कि,
जिला–..... हेतु लोकपाल पद के लिये आवेदन
अनुभव का क्षेत्र.....

16) आवेदन पत्र निम्न पते पर प्रेषित किया जावेः–
आयुक्त (महात्मा गाँधी नरेगा), द्वारा :– विकास आयुक्त कार्यालय, इन्द्रावती विभागाध्यक्ष भवन, ब्लाक–एक,भू–तल, कक्ष क्रमांक– 43 (CIV), अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।

16/10

अवर आयुक्त
महात्मा गांधी नरेगा, इन्द्रावती भवन,

(5)

स्व पासपोर्ट–
–हस्ताक्षरित
साइज फोटो
चस्पा करें।

आवेदन पत्र प्रारूप

"छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों हेतु महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल पद हेतु आवेदन पत्र"

(आवश्य सूचनाः– जिन लोगो ने पूर्व में माह नवबंर 2019 में विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं।)

आवेदित पद का नाम :– .....

जिस जिले के लोकपाल पद हेतु आवेदन किया जा रहा है, उस जिले का नाम :– .....

1) आवेदक का नाम :– .....
2) पिता / पति का नाम :– .....
3) जन्मतिथि :– अंको में .....
   शब्दों में .....
4) दिनांक 01–01–2020 को आयुः–.....वर्ष.....माह.....दिन (आयु संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5) लिंग (पुरूष / महिला) :– .....
6) जाति (नाम का उल्लेख करें):– .....
7) वर्ग :– .....
   (सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग का उल्लेख करें)
8) वर्तमान पता :– .....
   .....
   .....
9) स्थायी पता :– .....
   .....
10) फोन / मोबाईल नम्बर :– .....(एस.टी.डी.कोड सहित)
11) ईमेल एड्रेस :– .....
12) शैक्षणिक योग्यता :– .....

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड / वि.वि का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

(कृपया समस्त शैक्षणिक दस्तावेज की स्व–प्रमाणित सत्यापित प्रति संलग्न करें)

13) क्या न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव रखते हैं (हाँ / नहीं) :– .....
14) जिस क्षेत्र में अनुभव रखतें हैं उस क्षेत्र का नाम लिखें :– .....
(लोक प्रशासन, विधि, अकादमिक, समाजकार्य या प्रबंधन में से किसी एक का उल्लेख करें।)

क्रमशः

(6)

15) अनुभव का विस्तृत विवरण :– .....(सारणी में देंवे)

क्र.	पद का नाम (जिसमें कार्य करने का अनुभव है।)	संस्था का नाम (जिसमें कार्य कर चुके है या सम्बद्ध है।)	सेवा अवधि वर्ष (.....से.....तक)	अनुभव क्षेत्र में उत्कृष्ठता	संलग्न दस्तावेजों का नाम

(लोक–प्रशासन, विधि, अकादमिक, समाजकार्य या प्रबंधन में से किसी एक में न्यूनतम 10–वर्षों का वर्षवार अनुभव संबंधी विवरण एवं तत्संबंध में प्रमाणिक दस्तावेज, उत्कृष्ठ कार्य संबंधी या क्रियाकलाप के समाचार पत्र में प्रकाशन, कोई रिपोर्ट, छायाचित्र, सेवानिवृत्ति दस्तावेज एवं अन्य ऐसा दस्तावेज जो अनुभव से संबंधित हो, अनिवार्यतः संलग्न करें।)

16) क्या आमजन अथवा सामाजिक संगठनों के साथ कार्यानुभव रखते हैं :– .....
(यदि हाँ तो, अनुभव संबंधी प्रमाण व फोटोग्राफ की प्रति संलग्न करें)

17) किस जिले के मूल निवासी है :– .....**(मूल निवास प्रमाणपत्र संलग्न करें।)**

18) क्या किसी राजनैतिक दल या प्रतिबंधित संगठन के सदस्य हैं :– .....
(हाँ या नहीं का उल्लेख करें, नहीं की स्थिति में इस आशय का नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र संलग्न करें)

19) क्या किसी अपराधिक प्रकरण में दोषी साबित हुये हैं अथवा चार्जशीट दायर की गई है :–.....
(हाँ या नहीं का उल्लेख करें, नहीं की स्थिति में इस आशय का नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र संलग्न करें)

20) क्या क्षेत्र भ्रमण हेतु मेडिकली (शारीरिक एवं मानसिक) फिट हैं :–.....
(हाँ की स्थिति में किसी भी शासकीय चिकित्सक से स्वस्थता का प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

21) अन्य जानकारी,
जो आपको सामाजिक रूप से ख्यातिलब्ध (Eminent) बनाती हो।

22) क्या किसी सोसायटी अथवा व्यवसायिक निकाय के सदस्य हैं :– .....
(यदि हाँ, तो जानकारी देवें)

23) संलग्न प्रमाणपत्रों एवं दस्तावेजों की सूची :– .....
.....
.....

उद्घोषणा

आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सहीं एवं सत्य है। यदि किसी भी स्तर पर जानकारी असत्य पाई जाती, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

स्थान :– .....
दिनांक :– .....

आवेदक के हस्ताक्षर
(पूरा नाम सहित)

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विज्ञापन प्रारूप

लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण में सिविल सेवा (Civil Service) क्षेत्र, अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र एवं सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र के अनुभवधारी आवेदकों में से, प्रत्येक क्षेत्र से 01–01 (कुल–03) पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

(आवश्यक सूचनाः– जिन लोगो ने पूर्व में माह नवबंर 2019 तथा मार्च 2020 में विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं।)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् लोकपाल द्वारा पारित 'अवार्ड' के विरुद्ध अपील हेतु राज्य स्तर पर गठित **"त्रि–सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण"** में सिविल सेवा (Civil Service) क्षेत्र के अनुभव के आधार पर 01 सदस्य ,अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र के अनुभव के आधार पर 01 सदस्य एवं सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) के अनुभव के आधार पर 01 सदस्य की नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से राज्य स्तर पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

कुल रिक्त पदों की संख्या– 03

पद का प्रकार/अनुभव का क्षेत्र –लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण में सिविल सेवा (Civil Service) क्षेत्र के अनुभव के आधार पर 01 सदस्य, अकादमिक (Academics/ Teaching) क्षेत्र के अनुभव के आधार पर 01 सदस्य एवं सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र के अनुभव के आधार पर 01 सदस्य की नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु सिविल सेवा क्षेत्र, अकादमिक (शिक्षा) क्षेत्र या सिविल सोसायटी संगठन में कार्य करने का **न्यूनतम 30 वर्ष का अनुभव** होना आवश्यक है। 30 वर्ष से कम अनुभव वाले आवेदकों के नाम पर चयन हेतु विचार नहीं किया जावेगा।

क्र	अनुभव का क्षेत्र	रिक्त पदों की संख्या
1	सदस्य, सिविल सेवा क्षेत्र	01 पद
2	सदस्य, अकादमिक (शिक्षा) क्षेत्र	01 पद
3	सदस्य,सिविल सोसायटी संगठन क्षेत्र	01 पद

(आवेदन पत्र में तथा आवेदन प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें कि : – किस क्षेत्र के सदस्य पद हेतु आवेदन किया जा रहा है।)

क्रमशः...(2)पर

अर्हताएँ –

1) सिविल सेवा क्षेत्र के सदस्य पद हेतु सिविल सेवा क्षेत्र में न्यूनतम 30–वर्षों तक कार्य करने का अनुभव हो ।
2) अकादमिक (शिक्षा) क्षेत्र के सदस्य पद हेतु अकादमिक (शिक्षा) क्षेत्र में न्यूनतम 30–वर्षों तक कार्य करने का अनुभव हो ।
3) सिविल सोसायटी संगठन क्षेत्र के सदस्य पद हेतु सिविल सोसायटी संगठन क्षेत्र में न्यूनतम 30–वर्षों तक कार्य करने का अनुभव हो ।
4) आवेदक अपने अनुभव के क्षेत्र में प्रख्यात एवं सत्यनिष्ठ तथा निरपराध हो।
5) आवेदक किसी राजनैतिक दल अथवा वर्तमान में प्रतिबंधित किसी संगठन/संस्था/समिति का सदस्य न हो तथा आवेदक के ऊपर कोई अपराधिक प्रकरण न चल रहा हो।
6) आवेदक शारीरिक रुप से सक्रिय एवं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण हेतु सक्षम हो।
7) जिस क्षेत्र के सदस्य पद हेतु आवेदन किया जावे, उसी क्षेत्र में आवेदक का अनुभव 30 वर्ष होना चाहिये। एक से अधिक क्षेत्रों के अनुभव को मिलाकर 30 वर्ष का अनुभव मान्य नहीं किया जावेगा।

टीप :–

1) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल के रुप में जिन्होंने कम से कम 01–वर्ष सेवा दी हो, उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जावेगी।
2) राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा पात्र आवेदको को संबंधित क्षेत्र में अनुभव के वर्षों,सामाजिक क्षेत्र से जुडाव एवं लोकपाल पद पर किये गये कार्यों से संबंधित अनुभव के वर्षों के आधार पर अंक प्रदाय किया जावेगा।
3) प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों के पैनल का निर्माण **राज्य स्तरीय चयन समिति** द्वारा किया जावेगा।

आयु सीमा–नियुक्ति के समय आवेदक की उम्र 66–वर्ष से कम हो ।

आवेदन हेतु शर्तें तथा अन्य आवश्यक जानकारियाँ

1) छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल द्वारा पारित **"अवार्ड"** से व्यथित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु **"त्रि–सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण"** का गठन किया गया है। प्राधिकरण के सदस्यों का कार्य निःस्वार्थ जनसेवा की प्रकृति का है।
2) आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में ही जानकारी देनी होगी । आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज, आवेदक द्वारा स्व–प्रमाणित (Self Attested) होना चाहिये।
3) आवेदक को अपना कार्यानुभव, आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के माध्यम से प्रमाणित करना होगा।
4) आवेदन पत्र में दी गई जानकारी से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों को आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः...(3)पर

5) आवेदन संबंधी प्रारूप, अर्हता एवं शर्तों की जानकारी राज्य शासन की वेबसाईट– **www.cgstate.gov.in**तथा महात्मा गांधी नरेगा की वेबसाइट **www.mgnrega.cg.gov.in** से डाउनलोड की जा सकती है।

6) **आवेदन केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक– 19/11/2020 की संध्या–5:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।**

कार्यावधि –अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति प्रथमबार 02–वर्ष की समयावधि के लिये की जावेगी। कार्यप्रदर्शन एवं कार्य के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि एकबार में 01–वर्ष के लिये, अधिकतम 02–बार तक अथवा 68–वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी सदस्य को सेवावृद्धि दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने का अधिकार विभाग/शासन को होगा।

किसी भी अभ्यर्थी को पुनर्नियुक्ति नहीं दी जावेगी। अतः अपीलीय प्राधिकरण में सदस्य के रूप में एक बार कार्य कर चुके आवेदक पुनः नियुक्ति हेतु अपात्र होंगे।

पारिश्रमिक – प्राधिकरण के सदस्यों को फीस के रूप में देय पारिश्रमिक भुगतान प्रतिमाह अधिकतम सीमा रूपये– 30000.00 (तीस हजार रूपये मात्र) के अध्यधीन प्रति बैठक (Per Sitting) रूपये 1500.00 (एक हजार पाँच सौ रूपये मात्र) की दर से देय होगा। अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

कार्य –

1) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल द्वारा पारित 'अवार्ड' से व्यथित पक्ष को अपील का अवसर प्रदान करना।
2) प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील का निपटारा 02–माह के भीतर करना।

आवेदन प्रारुप–संलग्न है।

पता –आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रारुप में, आवश्यक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित पते पर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से दिनांक–19/11/2020 की संध्या – 5:00 बजे तक प्रेषित करेः–

आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा),
द्वाराः–विकास आयुक्त कार्यालय,इन्द्रावती विभागाध्यक्ष भवन,
ब्लाक –एक,भू–तल,कक्ष क्रमांक –43 (CIV),अटल नगर,नवा रायपुर छत्तीसगढ़।

अपर आयुक्त
महात्मा गांधी नरेगा, इन्द्रावती भवन,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

(10)

आवेदन पत्र

"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में गठित त्रि–सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य पद हेतु आवेदन पत्र"

(पद संख्या–03 अनुभव का क्षेत्र :(1) सिविल सेवा क्षेत्र (2) अकादमिक क्षेत्र (3) सिविल सोसायटी संगठन क्षेत्र)

आवेदित पद का नामः– .....

(सदस्य–सिविल सेवा क्षेत्र ,सदस्य–अकादमिक क्षेत्र अथवा सदस्य–सिविल सोसायटी संगठन क्षेत्र तीनों में से किसी भी एक पद का उल्लेख करें।(प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे के ऊपर पद एवं अनुभव का क्षेत्र का अनिवार्यतः उल्लेख करें।)

स्व–हस्ताक्षरित पासपोर्ट– साइज फोटो चस्पा करें।

1) आवेदक का नामः– .....

2) पिता/पति का नामः– .....

3) जन्मतिथि :– (अ) अंको में .....

(ब) शब्दों में .....

4) दिनांक 01/01/2020 को आयु :–.....वर्ष.....माह.....दिन

(आयु की पुष्टि हेतु हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल के अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें)

5) लिंग (पुरूष/महिला):– .....

6) जातिः– .....

7) वर्गः– .....

(सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का उल्लेख करें)

8) वर्तमान पताः– .....

.....

.....

9) स्थायी पताः– .....

.....

10) फोन/मोबाईल नम्बर :– .....(एस.टी.डी. कोड सहित)

11) ई–मेल एड्रेसः– .....

क्रमशः....(2) पर

12) शैक्षणिक योग्यता :– (कृपया समस्त दस्तावेज की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत	श्रेणी

13) क्या आप सिविल सेवा क्षेत्र, अकादमिक (शिक्षा) क्षेत्र या सिविल सोसायटी संगठन क्षेत्र में न्यूनतम 30 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव रखते हैं ? (हाँ/नहीं) :– .....
.....

14) क्रमांक 13 में उल्लेखित क्षेत्र में आपका कुल अनुभव कितने वर्ष का है ? .....

15) अनुभव का विस्तृत विवरण :– (निम्नांकित सारणी में वर्षवार क्रमानुसार विवरण देवें)

क्र	पद नाम	संस्था का नाम	सेवाअवधि वर्ष (.....से.....तक)	अनुभव अवधि (वर्ष/माह/दिन)	अनुभव क्षेत्र में उत्कृष्ठता	संलग्न दस्तावेजों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(सिविल सेवा क्षेत्र ,अकादमिक (शिक्षा) क्षेत्र या सिविल सोसायटी संगठन क्षेत्र में न्यूनतम 30–वर्षों का वर्षवार अनुभव संबंधी विवरण एवं तत्संबंध में प्रमाणिक दस्तावेज, उत्कृष्ठ कार्य संबंधी क्रियाकलाप या कार्य के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशन, कोई रिपोर्ट, छायाचित्र एवं अन्य ऐसा दस्तावेज, जो अनुभव से संबंधित हो, अनिवार्यतः संलग्न करें।)

16) क्या आप पूर्व में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत लोकपाल के पद पर कार्य कर चुके है ?

(अ) हाँ/नहीं :– .....

क्रमशः....(3) पर

16 (ब) यदि हाँ तो लोकपाल के अनुभव से संबंधित जानकारी निम्नांकित सारणी में देंवे :–

क्र	जिले का नाम जहाँ पर लोकपाल के पद पर कार्य किये है।	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के जिले	कुल कितने वर्षों तक कार्य किये	कार्यकाल की अवधि (कब से कब तक)	जारी आदेश क्रमांक / दिनांक
1	2	3	4	5	6

(प्रमाण स्वरूप लोकपाल के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश की छायाप्रति संलग्न करें।)

17) मूल निवास का जिला :– ..... (निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

18) क्या किसी राजनैतिक दल या किसी प्रतिबंधित संगठन / संस्था / समिति के सदस्य है ? क्या आपके ऊपर कोई अपराधिक प्रकरण चल रहा है। (हाँ / नहीं) .....

(नहीं की स्थिति में इस आशय का 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें)

19) क्या आप मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करने हेतु सक्षम हैं ? – (हां / नहीं) :– .....

(हाँ की स्थिति में किसी भी शासकीय चिकित्सक से स्वस्थता का प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

20) अन्य जानकारी, जो आपको सामाजिक रुप से ख्यातिलब्ध (Eminent) बनाती हो ।

.....

.....

(क्रमांक 20 में दी गई जानकारी की पुष्टि हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र / दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।)

क्रमशः....(4) पर

21) संलग्न प्रमाणपत्रों एवं दस्तावेजों की सूची:–

.....

.....

.....

घोषणा

आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है। यदि किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी मैने विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों को पढ़ा है। मुझे यह जानकारी है कि अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य का कार्य निःस्वार्थ जनसेवा की प्रकृति का है। इस पद पर मुझे महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित अधिनियम एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत कार्य करना है।

स्थान :– .....

दिनांक :–.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(पूरा नाम सहित)